पत्रांक: 425/15-6-97-1000131/97

प्रेषक,

हस्ताक्षर अपठित,
उपजिलाधिकारी,
उन्नाव सदर उन्नाव।

सेवा में,

निवासी निदेशकगण,
अज्ञात व्यक्तिगण।

निवासी 161 अकबरपुर — उन्नाव दिनांक 2 अगस्त 1997

विषय :- प्लाट सं 1/52 विरुद्ध अज्ञात बोर्डधारीगण, उन्नाव को अवैध घोषित कर पुलिस द्वारा स्थल से हटाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सं0121/2667/96-97 दिनांक 25.1.97 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा आपके विचारार्थ प्रस्तुत प्लाट सं. 1/52, विरुद्ध अज्ञात, उन्नाव की रजिस्ट्रीकृत संख्या 2926/15-6-95-10120 1/95 दिनांक 14.12.95 में निर्धारित मानकों से प्रतिस्थ अवैध घोषित कर पुलिस द्वारा स्थल से अन्यत्रगी सम्पत्ता की पुलिसकार्य के माध्यम प्रदान की जाती है कि विधिवत संस्था की विरासतदारी का विधि सम्मत अधिकारी/अधिकारी सूचीबद्ध अथवा सीध दीक्ष अवधारित संस्था उक्त अधिकार सहित सूचना 6 माह के अन्दर संस्था तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

हस्ताक्षर अपठित।
उपजिला।

संख्या:425(1)/15-6-97, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।
2- जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
3- निदेशक ग्राम्य भारतीय विद्यालय, 58 अकबरपुर-कानपुर रोड, निवासी संस्था, उन्नाव।
4- अध्यक्ष संस्था निवासी निदेशकगण, अज्ञात, उन्नाव।
5- बेसिक शिक्षा परिषद्, अज्ञात लखनऊ।
6- प्लाट सं. 1/52, विरुद्ध अज्ञात, बोर्डधारीगण, उन्नाव।

Principal
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW

Manager
Study Hall
Vipul Khand-2,
Gomti Nagar,
LUCKNOW

आज्ञा से,

हस्ताक्षर अपठित।
उपजिला।